(139)

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1292–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–04–2012 पारित द्वारा कलेक्टर जिला–दतिया प्रकरण कमांक 12/स्वमेंव निगरानी/2009–10.

श्रीमती राजपती पत्नी बाबूलाल बढई

निवासी ग्राम– जौरा, तहसील– सेवढा

जिला– दतिया ——— आवेदक

विरूद्ध

1. रामेश्वर
2. बादामसिंह
3. नरेश पुत्रगण स्व0 जगदीश
4. मीरा पुत्री स्व0 जगदीश
   निवासीगण खलकापुरा वार्ड कमांक– 4
   दतिया तहसील एवं जिला– दतिया
5. मध्यप्रदेश शासन ——— अनावेदकगण

( आवेदक की और से अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर )
अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 की और से अभिभाषक
श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया, अनावेदक कमांक 5 द्वारा अभिभाषक
श्री राजीव गौतम पैनल अभिभाषक

## आ दे श

## ( आज दिनांक 23 – 6 – 2016 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर जिला दतिया द्वारा प्रकरण कमांक 12/स्व. निगरानी/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 16–04–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है.

2– प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम जौरा तहसील सेवढा के भूमि सर्वे कमांक 850 क्षेत्रफल 0.055एवं852 रकबा 0.81 का अभिलिखित भूमिस्वामी जगदीश पुत्र गणेश अहिरवार था. जगदीश का नाम निरन्तर राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में चला आ रहा था. जगदीश पुत्र गणेश अपनी परिस्थितियों के कारण ग्राम जौरा से अपना निवास छोडकर दतिया नगर रहने चले जाने के कारण उक्त भूमि का विकय आवेदक को कर दिया. आवेदक ने दिनांक 10–03–2010 को पंजीकृत विकय पत्र द्वारा भूमि को कय कर अपना नामान्तरण कराया.

3– उक्त विकय पत्र के पश्चात कलेक्टर दतिया के समक्ष एक शिकायत पंचू लाल पुत्र काशीराम अहिरवार द्वारा की गयी . उक्त शिकायत के आधार पर कलेक्टर दतिया द्वारा प्रकरण स्वमेंव पुनरीक्षण में लिया जाकर भूमिस्वामी जगदीश को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया. विवादित आदेश द्वारा उपरोक्त विकय को पटटे की शर्तो को उल्लघन होना मानते हूए पटटे को निरस्त कर दिया. कलेक्टर महोदय के उपरोक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है.

4–आवेदक की और से अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में बताया कि प्रकरण में विवादित भूमि उसके द्वारा भूमिस्वामी जगदीश से कय की थी राजस्व अभिलेखों में भूमि का शासकीय होना अंकित नही था. भूमि राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में ही अंकित चली आ रही थी आवेदिका जो कि एक महिला है ने 20 वर्षो के राजस्व अभिलेखों का अवलोकन करने तथा पटवारी अभिलेख को देखने के पश्चात ग्राम सेवढा के अभिभाषक के संतुष्ट होने पर उनकी सलाह के अनुसार भूमि कय की थी.कलेक्टर महोदय द्वारा आवेदिका को सूचना एवं सुनवायी का कोई अवसर दिये बिना तथा बिना पक्षकार बनाये विवादित आदेश पारित किया गया है. जबकि शिकायत में आवेदिका को भूमि विकय करने के आधार पर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है.आवेदिका जो कि हितबद्ध पक्षकार है उसे पक्षकार बनाये बिना की गयी कार्यवाही अवैध एवं विपरीत है. उनके द्वारा इस समबन्ध में 2011 रेवेन्यू निर्णय पृष्ठ 273 उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टान्त प्रस्तुत किया गया. अभिभाषक ने अपने तर्को में बताया कि यदि भूमि शासकीय पटटे की भी मानी जाये तब भी यदि पटटेदार को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त होने से वह 10 वर्ष पश्चात बिना अनुमति के भूमि को विकय कर सकता है. तथा उसे अनुमति की आवश्यकता नही है. इस सम्बन्ध में उनके द्वारा 2011 रेवेन्यू निर्णय पृष्ठ 426 न्यायदृष्टान्त प्रस्तुत किया. कलेक्टर महोदय के समक्ष तहसीलदार इन्दरगढ द्वारा भी अपने प्रतिवेदन दिनांक 15–01–2011मे भी यह उल्लेख किया गया हैकि विकेता जगदीश को मध्यप्रदेश शासन के राजस्व विभाग के ज्ञापन कमांक 16/1/84/12–11 भोपाल दिनांक 29–2–1984 के अनुसार भूमिस्वामी अधिकार वर्ष 1998–99 में प्रदान किये गये है. तथा उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में विकय से प्रतिबन्धित होने सम्बन्धी कोई टीप अंकित नही हे. कलेक्टर महोदय ने उक्त प्रतिवेदन को देखे बिना विवादित आदेश पारित किया गया है जो कि विधि विपरीत है. आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को

में यह भी उल्लेख किया कि माननीय उच्च न्यायालय ने 2013 रेवेन्यू निर्णय पृष्ठ 8 में न्यायसिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि भूमि का विकय बिना अनुमति के किया गया हो तब भी पटटा निरस्त नही किया जा सकता है. उनके द्वारा यह भी निवेदन किया कि आवेदक एक हितबद्ध पक्षकार होने से उसे पक्षकार बनाये बिना पारित आदेश पक्षकारों के असंयोजन के दोष की अवैधता से ग्रस्त है ऐसा आदेश विधि के अनुसार स्थिर रखे जाने योग्य नही है इस सम्बन्ध में उनके द्वारा 2012 रेवेन्यू निर्णय 362 उच्च न्यायालय एवं 2013 रेवेन्यू निर्णय 390 उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टान्त प्रस्तुत करते हूए यह निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया.

5- अनावेदक 1 लगायत 4 की और से अधिवक्ता द्वारा मौखिक में एवं लिखित मे तर्क प्रस्तुत कर निवेदन किया कि शिकायत कर्ता द्वारा की गयी शिकायत दुर्भावना पर आधारित थी क्योंकि वह स्वयं भूमि कय करना चाहता था तथा हमारे पिता द्वारा उसे भूमि का विकय करने से इन्कार करने के कारण उक्त शिकायत की गयी है कलेक्टर महोदय का आदेश विधि विपरीत होने से निरस्त किया जाये.

6- अनावेदक कमांक-7 मध्यपदेश शासन की और से अधिवक्त द्वारा अपने तर्को में कलेक्टर के आदेश को उचित होना बताते हूए उसे स्थिर रखे जाने तथा निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया.

7-उभय पक्षों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेखों के अपलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि कलेक्टर के समक्ष स्वमेंव पुनरीक्षण की कार्यवाही जो कि तथा कथित रूप से विकय पत्र को आधार बनाकर की गयी शिकायत पर प्रारम्भ की गयी थी में आवेदिका को पक्षकार नही बनाया गया और न ही उसे कोई सूचना पत्र दिया गया. जबकि वह हितबद्ध पक्षकार थी. अभिलेख के अवलोकन से यह भी प्रमाणित नहीहै कि भूमि का विकय से प्रतिबन्धित होना अथवा भूमि शासकीय होना अंकित हो. तहसीलदार के प्रतिवेदन से भी यह प्रमाणित है कि विकेता जगदीश को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त थे. जब उसे भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त थे तब उसे भूमि विकय की अनुमति लेने की आवश्यकता नही थी जैसा कि राजस्व मण्डल द्वारा अपने 2011 रेवेन्यू निर्णय पृष्ठ 426 में विधी स्थापित की गयी है.इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित न्यायदृष्टान्तो के अवलोकन किया उपरोक्त न्यायदृष्टान्तो से सहमत होते हूए भी कलेक्टर द्वारा पारित आदेश आवेदिका जो कि हितबद्ध पक्षकार है को पक्षकार बनाये बिना पारित किया गया है पक्षकारों के असंयोजन के दोष से ग्रसित होने से भी स्थिर रखे जाने योग्य नही पाता हूँ. स्वयमेंव पुनरीक्षण की कार्यवाही ऐसे व्यक्ति के हितो को साधने के लिये नही की जा सकती है जो स्वयं दुर्भावना से ग्रसित हो वर्तमान प्रकरण में अनावेदक 1 से 4 की और से इस न्यायालय में अपने तर्क में कहा गया कि शिकायतकर्ता स्वयं भूमि कय करना चाहता था उसे विकय करने से इंकार करने के कारण यह शिकायत की गयी है.

8– उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला– दतिया द्वारा प्रकरण कमांक 12/स्व0निगरानी/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 16–04–2012 निरस्त किया जाता है तथा आवेदिका का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है. यह निगरानी स्वीकार की जाती है.

( एम0 के0 सिंह )

सदस्य

राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर